FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थीगण

कन्हैयालाल वैष्णव पुत्र श्री बद्रीदास जाति वैष्णव निवासी खीवाड़ा तहसील रानी जिला पाली बहैसियत पुजारी मुर्ति श्री रघुनाथ जी वाके खिवाड़ा

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील खिवाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रानी

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2025

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या /2025) 133

किस्म मुकद्दमा : प्रार्थना अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/4/25	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर नायब तहसीलदार खिवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 97/2025 बअनवान सरकार बनाम कन्हैयालाल में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित कराने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा गै.मु.सड़क की भूमि पर पक्की दिवार एवं तारबंदी कर अतिक्रमण किये जाने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से रेकर्ड प्राप्त होने एवं अप्रार्थी को सुने बिना किसी प्रकार का व्यादेश आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। निष्कर्षतः हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 24/4/25 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	750 22/4/25
24/4/25	~~[illegible]~~ वकील मंडल ने आज न्यायालय में [illegible] का निर्णय लिया है। पेशी हल्तवा [illegible] दिनांक 25/4/25 को पेश हो।	
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 28/4/25 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। स्थगन पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 30/4/25 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर पाली	
30/4/25	पत्रावली पेश हुई। मूल अपील मे निर्णय पारित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम होकर मूल अपील के संलग्न नत्थी हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	